

**सुनालिया
ज्वेलर्स**
हीरा, स्वर्ण, हॉलमार्क ज्वेलरी,
रजत, राशि नग के विक्रेता
मो. 94255-32524, 94241-43922
पावर हाउस रोड, कोरबा

पृष्ठ : 8 मूल्य 2.00 रुपए



इससे पहले मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि विदेश मंत्रालय का कूटनीतिक रूप से हस्तक्षेप करने, धायल भारतीयों को इलाज सुनिश्चित करने और मोर गैर लोगों के शव को वापस लाने का काम सौंपा गया। सुरेश गोपी ने आगे कहा, उन्होंने (विदेश मंत्रालय) अच्छा काम किया। अधिकारियों ने कहा कि

अल-मंगफ इमारत में लगी आग में 49 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 45 भारतीय और बाकि पाकिस्तान, फिलीपींस, नेपाल के नागरिक हैं। दक्षिणी कुवैत के मंगफ क्षेत्र की इमारत में लगभग 195 प्रवासी श्रमिक रहते थे।

मामला कोर्ट में जाएगा। राउत ने आगे कहा, बीजेपी वुरी तरह से हार गई। मोदी और अमित शाह हार गए हैं। वाराणसी में नरेंद्र मोदी हार गए हैं। भगवान सब जगह हैं। आप अयोध्या, चित्रकूट और प्रभु राम की भूमि नासिक, रामेश्वरम और पवित्र भूमि में हरो। जहाँ-जहाँ भगवान श्रीराम रहे, वहाँ सभी पवित्र भूमि पर अहंकार का पराभव हुआ है।

भाषा की जो लक्ष्यपत्र आचारसूत्र के बीच के अंतर और चुल्लर समान आने लगे। सरस्वत चरित्रानुसार भाषा के अर्थ और पठन स्वयंसेवक की यह गृह्य कक्षाओं के सदस्य द्वारा प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने 241 पर एक विद्या, निम्न की प्रतीति आया नहीं थी, अद्वैत था। उन सबको निम्न 234 पर एक विद्या यह प्रभाव के रूप में। इसी मुद्रा मुद्रा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने 241 पर एक विद्या, निम्न की प्रतीति आया नहीं थी, अद्वैत था। उन सबको निम्न 234 पर एक विद्या यह प्रभाव के रूप में। इसी मुद्रा मुद्रा के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

की स्टेशन रोड शाखा में सहायक प्रबंधक अंकित गोयल ने केजरीवाल को धमकी दी थी। दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। हालांकि उसी दिन उसे जमानत मिल गई लेकिन बैंक प्रबंधन ने उसे निर्लंबित कर दिया था। जर्जरगई से गगन बोलत अंकित गोयल

होने से बच गया।
मे हैं, उन्होंने प्रेमनगर
सीडीओ दफ्तर में
त के खिलाफ एक
नैं बैंक ऑफ बड़ौदा

किशोरी से दुष्कर्म की घटना के मामले में एडीजे कोर्ट ने आरोपी और एक महिला को दी 25 वर्ष की सजा

सप्तौ। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी और उसके दोदी जीजा को फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार शिवहरे ने 25 - 25 वर्ष सश्रम कारावास को सजा एवं अपरंद्ध से दीक्षा किताब है। (अपीलीयन के अनुसार 7 जून 2023 को सुनवाई 11 एक नाबालिग लड़की पर में बिना विचार को बताए पैटर्न सक्ती रेलवे स्टेशन आया। उसके पिता कास से दूसरे गांव गया था। जब वह 12.30 बजे पर आया तो उसकी बेटी पर में नहीं थी। तो उसने अपनी पत्नी बच्चे और मां से पूछा कि उसको बेटी कहाँ है तब पर सुनने ने बताया कि वह घर में बिना बताए सुनने 11 बजे कहीं चली गई है और अगर तक मायस नहीं जाई है। शाम तक नाबालिग के अपने का रिश्ते किताब गया। आरोपी महिला भी को गई मगर उसका पता नहीं चला।

ऐसे में नाबालिग के पिता ने थाना जाकर उसकी बेटी के मुम होने को रिपोर्ट दर्ज कराई।

जिस पर पुलिस ने अज्ञात आरोपित के विरुद्ध भादवि को धारा 363 के तहत अग्राह्य पंजीकृत कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान नाबालिक को बागदर किया गया। उसने बताया कि वह छिपते वर्ष कक्षा 9वीं जांजगीर में पढ़ी है तथा कक्षा दसवीं को उसके पिता उसे जांजगीर में पढ़ाना चाहते हैं। किंतु वह गांव में पढ़ना चाहती है। इसी बात से गुस्सा होकर वह बिना घर में कुछ बताए पैटर्न सक्ती रेलवे स्टेशन नहीं गई। जब वह रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 में थी तब असीदा निवासी चंद कुमार लहरे व उसके दो साथी उसके पास आए। चंद कुमार लहरे के दो साथियों ने शाम को 5.30 बजे उससे पूछा कि सभी डेन चली गई है वह कहा जाणी, तब वह कहती हूँ जाओगी कहकर दूसरे प्लेटफार्म में चली गई। उसके बाद चंद कुमार लहरे आया और उससे उसका नाम और पता पूछा और अपने साथ चलने को कहा तथा उसे धमकी देकर अपने साथ डेन में बैठा कर



खरसिया से गया। खरसिया रेलवे स्टेशन में डेन से उतरे तो चंद कुमार लहरे अपने जीजा तुलसी को

चंद कुमार लहरे को बहन गिरजा बाई खांडे घर में थी। चंद कुमार ने खांडे एक कमरे नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। उसे 17 जून से 3 जुलाई 2023 तक रखा हुआ था। चंद कुमार शराब पीकर आता था तथा उसके साथ मारीपट करता था। नाबालिक ने यह भी बताया कि चंद कुमार उसे घाम हाटी ले गया था जहां कमरा कियाया में लेकर 28 जुलाई तक रखा हुआ था और वहां भी उसके साथ दुष्कर्म किया। खरसिया के मीर में लेजाकर जबरदस्ती उसके साथ शादी की। किसी तरह एक दिन उसने चंद कुमार को मोबाइल से अपने स्वजन को सूचना दी। जिस पर पुलिस गया गिरजा बाई खांडे पति तुलसी खांडे को धारा 6 सहाई धारा 17 लैंगिक अपराधी से बालको का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत जिला नुस्सी खांडे एवं बहन गिरजा बाई खांडे के खिलाफ अग्राह्य दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मामले को सुनवाई करते हुए विशेष

न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रशांत कुमार शिवहरे ने चंद कुमार लहरे को भादवि को धारा 363 के लिए सजा वर्ष, धारा 366 के लिए 10 वर्ष, धारा 376 (3) के लिए 25 वर्ष एवं धारा 6 पासास एक्ट के लिए 25 वर्ष सश्रम कारावास एवं क्रमशः 1000, 2000, 50000 एवं 50000 को अपरंद्ध से दीक्षा किताब तुलसी खांडे पिता कलस साथ खांडे को धारा 363, 34 के लिए 7 वर्ष धारा 366, 34 के लिए 10 वर्ष एवं धारा 6 सहाई धारा 17 लैंगिक अपराधी से बालको के संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध के लिए 25 वर्ष का सश्रम कारावास एवं क्रमशः 1000 2000 एवं 50000 तथा गिरजा बाई खांडे पति तुलसी खांडे को धारा 6 सहाई धारा 17 लैंगिक अपराधी से बालको का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत जिला नुस्सी खांडे एवं बहन गिरजा बाई खांडे के खिलाफ अग्राह्य दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मामले को सुनवाई करते हुए विशेष

DBM ग्रुप ने आत्मानंद स्कूल सहित अन्य शासकीय परिसरों को बनाया अपने प्रचार-प्रसार का अड्डा

जांजगीर-चांपा। शासकीय परिसरों में निजी संस्थानों का प्रचार-प्रसार भले ही प्रतिबंधित है मगर, जिला मुख्यालय जांजगीर में शासन के इस आदेश को चुलुककर धर्जियाउं रह गई है। ताजा मामला डीबीएम ग्रुप का है, जिसके संचालक ने जिला मुख्यालय जांजगीर में संचालित शासकीय अंगीजी माध्यम स्कूल सहित जिले के विभिन्न स्थानों में स्थित शासकीय संस्थानों के परिसर को अपने निजी संस्थान के प्रचार-प्रसार का अड्डा बना दिया है। इसके बावजूद जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी मुकदमाले को दुरु है।

दरअसल, जिला मुख्यालय जांजगीर सहित आसपास के गांव में डीबीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के संचालक द्वारा, हारर सेकेण्डरी स्कूल, आर्ट्स/साइंस और फार्मेसी कोर्स संचालित किया जाने का वार्ता रिपोर्ट आता है, जहां पर विचार विमर्श, प्रशिक्षण सभाग सहित सभी प्रकार के कार्यक्रम संचालित एवं संचालन मौजूद होने को सुनने दी जाती है। इसी प्रकार, हडकोन स्कूल और टी है, जिसका खुलासा तब होता है, जब विद्यार्थी इस संस्थान के संचालक को विद्यार्थी-पुत्रीय भावों में फंसेकर विविध कोर्स में प्रवेश होने के बाद संस्थान पहुंचते हैं और वहां का नजारा देखकर चूढ़ को उठा सा मजबूर करने लगते हैं। विगत वर्ष को भांगी इस बात को डीबीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के संचालक ने भोले-भाले विद्यार्थियों को उठाने का पुरा इराजाम कर रखा है और अपने मसंयुक्त पर कामयाब होने के लिए जाल भी फेंक दिया है। बता दें कि आगामी शैक्षणिक सत्र को सुरुवात होने वाली है, जिसके मद्देनजर डीबीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के संचालक ने जिला मुख्यालय जांजगीर में संचालित आत्मानंद अंगीजी माध्यम स्कूल सहित जिले के विभिन्न स्थानों में स्थित शासकीय संस्थानों के परिसर को अपने निजी संस्थान के प्रचार-प्रसार का अड्डा बना दिया है और अपने कथित संस्थानों को परवर्ती लावाकर एक बार फिर से भोले-भाले विद्यार्थियों को उठाने को पूरी तैयारी है। दिलचस्प बात यह है कि इस संस्थान के सारे प्रचार प्रसार विविध विभाग के प्रमुख संस्थानों के मुख्य द्वार पर लगे हुए हैं, जिस पर जिला प्रशासन के जिम्मेदार सभी अधिकारियों को नजर पड़े भी सही है, इसके बावजूद वे अधिकारी मुकदमाले बन्दकर कथित डीबीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के संचालक को मजबूती और फुजीबाज करने को खुली देत हैं।

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

मुख्य कार्यलय - सकेत भवन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

सर्वीस

सहित आसपास की सुचना

कार्ड नम्बर: 6899-480-492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111

एनएसयूआई के सदस्यों ने डॉक्टरों के साथ मिलकर नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट-युजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।



चिकित्सकों की कमी का मुद्दा उठेगा मुख्यालय में

कोरवा। एएससीएल नेवरा व कोरवा के चिकित्सालयों में चिकित्सकों की कमी को लेकर एएएमएस कार्यालय गैरह है। इस मामले को आईआर बैठक में उठाते रहे हैं। मुख्यालय में आज एएएमएस की आईआर वाली है, जिसमें वह मुद्दा जोरदार से उठाया जाएगा। एएएमएस के सलमाना बाइल, मिर्जा बाहु, ए बिजला व सुंदर मिश्र का कहना है कि कोरवा क्षेत्र में कई बड़े छुट्टान हैं। मेन पॉवर भी अधिक होने के कारण चिकित्सकों की कमी नहीं होनी चाहिए। कोरवा बांकीमोहरा व नेवरा के चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सक होनी चाहिए। यहां कई डिस्पेंसरी भी हैं। इस डिस्पेंसरी में भी प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सक होनी चाहिए। इसके अलावा और कई मुद्दों को रखा जाएगा। खाल कर सिविल क्षेत्र के आठ कर्मचारी लिवित रहते हैं। कावेन दिव जाले के बाद भी कोरवा कामगार अपने कामों के लिए पकड़ते हैं।

बसपा की समीक्षा बैठक 17 को

कोरवा। बसपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी नर्मद प्रसाद अधिकार, मनोहर आनंद का कोरवा आगमन 17 जून को हो रहा है। अनेककर भवन मुझपुर में आयोजित इस बैठक में राधेश्याम सुर्वेयरी, दूजराज बाई भी मौजूद रहेंगे। बैठक की सफल बनने के लिए जिलाध्यक्ष फुलचंद्र सोनवानी, मल्लान, विजयोभाकर, बाबूकांत टंडन, राजकुमारी नारी, धरमती केमंडोज तैयारी में लगे हुए हैं।

हैडपंप में पाईप बदलने की जरूरत

कोरवा। तिवल क्षेत्र में जलभर नीचे चले जाने से हैड पंप से पानी नहीं आ रहा है। पाइप छेदा होने के कारण इन्हें बदलने की जरूरत है। भाजपा हरदीबाजार नगर मंडल के अध्यक्ष हरिदा धरमती ने पीपईसी विभाग में अकादमिक अधिकारियों से गुहार लगाई है कि तिवल क्षेत्र में लगे हुए इंटरपंप से पानी नहीं आ रहा है। इन पंपों में खाम है। कई किस्में वाले को रोकें हैं। लोगों को पानी के लिए काफी दूर जाना पड़ रहा है। इसी तरह हरदीबाजार व जौनपुर क्षेत्र में भी पंपवर्क की समस्या है। किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष फुलचंद्र राठी व नरेंद्र टंडन ने अकादमिक अधिकारियों को सख्त कर हैडपंपों को ठीक करने को कहा है।

पूर्व सांसद डॉ. महतो के जन्मदिन पर होंगे कार्यक्रम

कोरवा। पूर्व सांसद च. डॉ. जमालास पर जन्मदिन पर विभिन्न संसदों के द्वारा कार्यक्रम करने की कार्यवाही बनाई जा रही है। इस अवसर पर एक पत्रिका का विमोचन भी होगा। इसमें उनके कार्यों को रेखांकित किया गया है।

श्रीधर बनेगी नई औद्योगिक नीति : लखन

कोरवा। नई औद्योगिक नीति के लिए उद्योग विभाग द्वारा लखन अलग-अलग उद्योग संघर्षों से विचार विमर्श कर उनके अनुरूप व्यवस्था लिए जा रहे हैं, अलग प्रयोग के 20 अलग-अलग उद्योग संघों से सुझाव लिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्यप्रदेश समेत अन्य प्रदेशों की उद्योग नीति पर रटखी भी विभाग द्वारा की जा रही है। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और उद्योगपतियों को उत्साहित करने में निवेश प्रोत्साहन बढ़ाने को दिशा में और दिया जा रहा है।

तीन दिन में प्राथमिक चीजें सीखेंगे युवा

कोरवा। जिले के देवघर में 14 जून से 17 जून तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम निदेशन वगैरह शुरू होगा। आज रात इस्का शुभारंभ होगा। जिले के विभिन्न क्षेत्रों के युवा इसमें शामिल हो रहे हैं। उन्हें आधारभूत विषयों के संघर्ष में व्यवहारिक और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

एक पखवाड़ा में कुसमुंडा फोरलेन के कामकाज को पूरा करने की चुनौती

200 करोड़ का योगदान दिया एसईसीएल ने

कोरवा। सवाल इस बात का है कि क्या आएल एक पखवाड़े के भीतर कुसमुंडा-तरदा फोरलेन के एक हिस्से में बाकी बचे कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा? पीछछुट्टी की ओर से इस प्रकार के दाने लगातार किये जाते रहे हैं। जिले पर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। कोरवा बनी हुई है और लोग परेशान हैं।

कोरवाचल कुसमुंडा से इस फोरलेन का निर्माण 4 वर्ष पहले शुरू कराया गया है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के अंतर्गत 200 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई है। इसके माध्यम से सड़क विकास का काम चल रहा है। एएएमएस इंस्ट्रुक्शंस नागपुर महाराष्ट्र इसकी क्रियायत एजेंसी है जो लोक निर्माण विभाग की निगरानी में काम कर रही है। कई प्रकार की अड़चनों को दूर करने के साथ इस काम को गति दी गई लेकिन अचाना गुजरे पर भी कामकाज नग्रा नहीं हो सका है। एसईसीएल के कोरवाला चोट वाहनों के साथ-साथ



पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अन्य वाहनों का संचालन भी इसी रास्ते पर निर्भर है। समस्या यह है कि इमलीवापर से सर्वमंगला तिराहे तक कई काम अगुने हैं और कई जगह पैच छूट हुए हैं। इनमें से पैच को भरने के काम को लेकर लोक निर्माण विभाग का दावा है कि जून के अंत तक हर हाल में इसे पूरा कर लिया जाएगा। जिस तरीके से कार्य चल रहा है और मानसून के सक्रिय होने में देरी नहीं है,

इसमें कई आश्चर्यों भी बनी हुई हैं। ऐसे में निर्माण एजेंसी के सामने चुनौती है कि वह किस तरीके से अपने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को मजबूत 15 दिन में पूरा कर सके। बताया गया कि पूर्व वर्षों में जन प्रतिनिधि और प्रशासन के बीच तकरार होने के कारण ठेका कंपनी को काम करने में काफी मुश्किलें पैदा हुईं। ऐसे में टेंशन बहात तक बढ़ा कि कैसे एजेंसी के भुगतान के लिए एडिजॉइन राहनी पड़े।

दायें तट नहर पर बनेगा पुल

एसईसीएल कुसमुंडा के साइलो के नजदीक सड़क के दूसरे सिरे का काम तकनीकी कारणों से विलंबित है। जबकि सर्वमंगला नगर जाने वाले रास्ते पर नहर पुल में फोरलेन के लिए नए पुल का निर्माण कराया जाता भी बाकी है। सिम्रान विभाग से जुड़े पेशेवरों द्वारा कलेक्ट बल पुल का निर्माण होगा।

हाथियों को देख बाईक सवार युवक गिरकर हुए घायल



कोरवा। जिले के कटयोरा वन मंडल के कैप्टन व एमआर नगर में हाथियों का आतंक जारी है। कैप्टन रज में परला-जटगा गांव पर हाथियों का पार करके अचानक ट्रेड कर जाईस सवार युवकों ने निर्माण को रोक दिया और बाईक से गिरकर घायल हो गए। जानकारी मिलने पर हाथियों की निगरानी में जुटी टीन ने घायल युवकों को स्थानीय अस्पताल में ले जाकर उपचार कराया। मिली जानकारी के अनुसार कैप्टन के परलाटोट में इन दिनों हाथियों का 4 सदस्यीय दल विचरण कर रहा है। हाथियों का यह दल मुझवा कर रहा 8 बजे जटगा रोड को पार कर रहा था। इसी दौरान हड़मोड़ निवासी पहलवान सिंह पिता गोविंद उम्र 24 वर्ष अपने साथी संतोष (34) वर्ष निवासी उमनापुर खड़गांव के साथ बाईक पर सवार होकर इस मार्ग से जा रहा था। तभी अचानक उनकी नजर रुककर पार कर रहे हाथियों पर पड़ी। हाथियों की टेंडकर बाईक चला रहा युवक पहलवान हड़मोड़ गया। और अचानक बेक लगाया। जिससे वह अनियंत्रित होकर गिर गया। और उसमें सवार दोनों युवक घायल

4 महीने तक रेत घाट बंद, ढपढप सहित कई जगह रेत चोरी

कोरवा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की व्यवस्था के अंतर्गत 15 अक्टूबर तक के लिए कोरवा जिले में रेत घाट बंद हो गए हैं। इस निर्णय में सरकार के तहत की गयी है नवी अवैध खनन और भंडारण रेत हो गया है। कोरवा जिले के ढपढप समेत कई स्थान से रेत चोरी से लेकर अवैध भंडारण का काम एकाएक बंद गया है।



यहां कालखंड में नदी नालों के साथ पेज आने वाली कुसुमिवा और कई तकनीकी कारणों से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पिछले के वर्षों से इस पूरे सोन में रेत खनन और परिवहन जैसे कार्यों को बंद रखता है। इस बात भी प्रशासन की ओर से व्यवस्था बनाते हुए 15 अक्टूबर तक के लिए सभी रेत घाटों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहां पर किसी भी प्रकार की उत्खनन संबंधी गतिविधियां नहीं हो सकी हैं। हर बात को रेत इस तरह बंद भी अधिकारियों ने अपने जवाब दे दिए हैं और लगातार पार लिखा है कि इसके अंतर्गत जिले में कामकाज नहीं चलेंगे। लेकिन सच यह है कि प्रविधों के पहले भी रेत की चोरी विभिन्न क्षेत्रों में चल रही थी और अभी भी इसमें किसी प्रकार की रोक नहीं लगा सकी है।

जानकारी सूत्रों ने बताया कि ढपढप, सर्वमंगला नगर, धुआँपुर सहित कई स्थानों से रेत की चोरी व्यापक पैमाने पर हो रही है। संमति निर्देश इस काम में लगा हुआ है जिससे रेत चोरी में प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी नकाम साबित हो रहे हैं। बताया गया कि रेत चोरी से जुड़ी हुई गतिविधियों में राजनीतिक दलों के लोगों के अलावा चोरी चक्रवर्ती और अधिक कर्मों में पहले से संलग्न रहे चेदर शामिल है बिजनेस इर स्टार पर संरक्षण मिल रहा है। मामला ऊंची पहुँच का है। इसीलिए इस प्रकार चोरी का काम जारी है।

अतिक्रमण से रास्ता हुआ संकरा, लोग चाहते हैं हो हस्तक्षेप

कोरवा। नगर निगम के बाईस नंबर दस सोतागोम ईलाक में लगातार हो रहे अतिक्रमण से बाईस के लोग काफी परेशान नकर आ रहे हैं। मुझवा को क्षेत्र के लोग कलेक्टर के पास पहुंचे और अतिक्रमण को हटाने की मांग की। गौरतलब है कि मंजोर गुला नामक व्यक्ति द्वारा चंडिका मंदिर के

सामने कुम्हार मुहल्ल के गलियारे रोड किनारे तक ठेला गुमटी लगाकर बैठा कच्चा कर लिया गया है जिससे आने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि मार्ग रुकाने के बाद बाईस के लोग को नुकसान मुश्किल हो गया है।



खतरनाक स्तर पर बोरेर, लेगा 900 साल वृक्षों की बलि

कोरवा। बीमारियां वृक्षों को भी लगती हैं और कई मौकों पर ये उनके अंत का कारण बन जाती हैं। बोरेर कोट प्रकोप इसी में शामिल है। वृक्षों की टहनियों से लेकर जड़ों की खोखला करने की क्षमता इसमें मौजूद है। अकेले बालको नगर रेंज में इस प्रकार में 900 साल वृक्षों की बलि चढ़ेगी। वनमंडल कोरवा के अंतर्गत गामी के सीजन में यह बीमारी साल वृक्षों के लिए परेशानी बनी हुई है। विभागीय वृक्षों ने बताया कि प्राथमिक तौर को विहाइनन किया गया है उसमें 900 वृक्ष सामने आये हैं उसमें कोट प्रकोप बोरेर छाया हुआ है। जल्द ही इन्हें काटने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रक्रिया के लिए नए पुल का निर्माण कराया जाता भी बाकी है। सिम्रान विभाग से जुड़े पेशेवरों द्वारा कलेक्ट बल पुल का निर्माण होगा।

4 महीने तक रेत घाट बंद, ढपढप सहित कई जगह रेत चोरी

कोरवा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की व्यवस्था के अंतर्गत 15 अक्टूबर तक के लिए कोरवा जिले में रेत घाट बंद हो गए हैं। इस निर्णय में सरकार के तहत की गयी है नवी अवैध खनन और भंडारण रेत हो गया है। कोरवा जिले के ढपढप समेत कई स्थान से रेत चोरी से लेकर अवैध भंडारण का काम एकाएक बंद गया है।

यहां कालखंड में नदी नालों के साथ पेज आने वाली कुसुमिवा और कई तकनीकी कारणों से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पिछले के वर्षों से इस पूरे सोन में रेत खनन और परिवहन जैसे कार्यों को बंद रखता है। इस बात भी प्रशासन की ओर से व्यवस्था बनाते हुए 15 अक्टूबर तक के लिए सभी रेत घाटों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहां पर किसी भी प्रकार की उत्खनन संबंधी गतिविधियां नहीं हो सकी हैं। हर बात को रेत इस तरह बंद भी अधिकारियों ने अपने जवाब दे दिए हैं और लगातार पार लिखा है कि इसके अंतर्गत जिले में कामकाज नहीं चलेंगे। लेकिन सच यह है कि प्रविधों के पहले भी रेत की चोरी विभिन्न क्षेत्रों में चल रही थी और अभी भी इसमें किसी प्रकार की रोक नहीं लगा सकी है।

अतिक्रमण से रास्ता हुआ संकरा, लोग चाहते हैं हो हस्तक्षेप

कोरवा। नगर निगम के बाईस नंबर दस सोतागोम ईलाक में लगातार हो रहे अतिक्रमण से बाईस के लोग काफी परेशान नकर आ रहे हैं। मुझवा को क्षेत्र के लोग कलेक्टर के पास पहुंचे और अतिक्रमण को हटाने की मांग की। गौरतलब है कि मंजोर गुला नामक व्यक्ति द्वारा चंडिका मंदिर के

अतिक्रमण से रास्ता हुआ संकरा, लोग चाहते हैं हो हस्तक्षेप



सामने कुम्हार मुहल्ल के गलियारे रोड किनारे तक ठेला गुमटी लगाकर बैठा कच्चा कर लिया गया है जिससे आने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि मार्ग रुकाने के बाद बाईस के लोग को नुकसान मुश्किल हो गया है।

अतिक्रमण से रास्ता हुआ संकरा, लोग चाहते हैं हो हस्तक्षेप

कोरवा। नगर निगम के बाईस नंबर दस सोतागोम ईलाक में लगातार हो रहे अतिक्रमण से बाईस के लोग काफी परेशान नकर आ रहे हैं। मुझवा को क्षेत्र के लोग कलेक्टर के पास पहुंचे और अतिक्रमण को हटाने की मांग की। गौरतलब है कि मंजोर गुला नामक व्यक्ति द्वारा चंडिका मंदिर के

होटल आकाश

सर्व सुविधायुक्त रुम एवं हॉल उपलब्ध

संपर्क करें 9425223290, 8908530000, 8103865081

हॉल -

400Sq.ft. से लेकर 2500Sq.ft. तक

15 से लेकर 300 व्यक्तियों की व्यवस्था

तरुण छत्तीसगढ़ के बाल में तिलक मार्ग बुधवार रात रोड कोरवा (छ.ग.)

बर्थले पार्टी, तिलक समारोह, कीटी पार्टी एवं हर प्रकार के सामाजिक समारोह के लिए आपके दण्ड पर हमेशा तैयार मिलेंगे।

यमोनी कौशल किराते मित्र को और से प्रकाशक, मुक्त सुभष अग्रवाल द्वारा आकाश अपार्टमेंट टिफिन से मुक्ति कर तिलक मार्ग, ट्रांसपोर्ट नगर, कोरवा से प्रकाशित, संपर्क सुभष अग्रवाल फोन: 221149, फोन: 9425224167 आर.एन.आई. पंजी. नं. 50254-89, ई-मेल tarunpresskbr@gmail.com

7828364476